REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 9 | JUNE - 2018

''आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की मनोवृत्ति का अध्ययन''

डॉ. सुरेश सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
टीचर्स एजुकेशन, विवेक कॉलेज, बिजनौर (उ.प्र.)

सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतात्रिक शासन की नींव रखी गयी। गणतान्त्रिक आदेशों के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को सामाजिक समान्ता, धर्म एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पत्ति व अन्य अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, जिसके उल्लघंन पर व्यक्ति कान् की शरण ले सकता है। राजनैतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात् भी लोकतन्त्र का भविष्य सुरक्षित अनुभवन नहीं किया जा सकता। आर्थिक एवं सामाजिक असमान्ता के रहते हुए स्वराज का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल सके लेकिन मौलिक अधिकारों में प्रावधानों के अनुसार किसी भी ानागरिक के साथ जीवनप के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव करना दण्डनीय अपराध है। परन्तु भारत में एक बहुसंख्यक जन समुदाय जीवन स्तर में इतना नीचे था कि नेता विचार करने के लिए विवश हो गये यह प्रथा वैदिक कालीन से चली आ रही थी परन्तु समय–समय पर परिवर्तन एक क्रान्ति का रूप धारण करती आयी है। हम स्वयं एक पभु की संतान होते हए भी समाज रूप वर्ण व्यवस्था ने हमारे मध्य भ्रान्तियाँ पैदा कर दी हैं। इतिहास के अतीत में झांककर देखें तो सदियों में हम सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से एक वैभवशाली राष्ट्र के रूप में विश्वशिखर पर आसीन रहे, किन्तु विदेशियों के लगातार आक्रमणों, सांस्कृतिक हमलों एवं आर्थिक शोषण के शिकार हुए। इन सबसे जूझते, संघर्ष करते जब हमने 15 अगस्त 19 को गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ पुनः विश्व पटल पर दस्तक दी, तो हारे एक चिन्तन को अपने संविधान के रूप में 26 जनवरी, 1950 को ख्याति प्राप्त कर ली। इस दिन हम समस्त भारतवासियों ने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व पूजा की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने और उनमें व्यक्ति की गरिमा को ध्यान रखने के सपने देखे थे। परन्तु 68 वर्षों के पश्चात् भी प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता व उसकी प्रतिष्ठा नहीं दिला सकें।

मुख्य शब्द– आरक्षण, मनोवृत्ति

प्रस्तावना

आरक्षण का शाब्दिक अर्थ है– 'सुरक्षित करना' स्वतन्त्रता के पूर्व भारत नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित था। दलितों के मसीहा डॉ. भीम राव अम्बेडकर भी आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। इस कथन की पुष्टि उनके निम्न शब्दों से होती है– ''दलितों को बैसाखियों के सहारे नहीं उठना चाहिए बल्कि उनकी आर्थिक मदद करके संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए''। किन्तु बड़े दुःख की बात है कि हमारे राष्ट्र नायक राजनेता परिणाम की परवाह किये बिना वोट के पीछे ''आरक्षण'' जैसी अनेकों पांसे की गोटी बनाकर अपनी कलुसित भ्रष्टाचारी राजनीति में प्रयोग करते हैं। आरक्षण के प्रति हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू के विचार निम्न थे–''यदि सम्प्रदाय और जाति के आधार पर आरक्षण के व्यवस्था करेंगे तो हम प्रतिभाशाली लोगों को खोकर द्वितीय श्रेणी के बने रहेंगे। आज हमारे देश को आरक्षण नहीं बल्कि संरक्षण की जरूरत है। इसके विपरीत मण्डल कमीशन के जनक बी.पी. मण्डल का कथन है कि '' यह सत्य है कि पिछडो जातियों के लिए

आरक्षण के दूसरों का दिल जलेगा। परन्तु महज दिल जलने का सामाजिक सुधार के खिलाफ नैतिक विशेशाधिकार माना जाये, जबकि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंग–भेद के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। श्वेतों का दिल बुरी तरह से जलता है।'' ऐसे जातिगत वक्तव्यों क द्वारा सामाजिक विघटन हो सकता है न कि उत्थान। जैसा कि कमीशन की रिपोर्ट में 3745 जातियों को पिछड़े वर्ग में रखा गया है जिन्हें कमीशन के तहत 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 प्रतिशत विकलांगों के लिए तथा सैनिकों के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही था। लेकिन विकलांगों के लिए तथा सैनिक के आश्रितों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही था। लेकिन ऐसी बड़ी आरक्षण प्रणाली को देखते हुए ऐसा लगता है कि आरक्षण ही सर्वोपरि है शेष गौण है।

समस्या कथन

वर्तमान अध्ययन का शीर्षक यह है ''आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के छात्रों एवं शिक्षकों की मनोवृत्ति का अध्ययन'' करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं।

1. आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के आरक्षित तथा अनाराक्षित छात्रों एवं शिक्षकों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना।
2. आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के छात्रों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना।
3. आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के आरक्षित एवं अनारक्षित शिक्षकों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

वर्तमान उद्देश्या के आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है जो कि निम्न है–

1. आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के आरक्षित एवं अनारक्षित छात्रों की मनोवृत्ति के मध्य कोई अन्तर नहीं है।
2. आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के आरक्षित एवं अनारक्षित शिक्षकों की मनोवृत्ति के मध्य कोई अन्तर नहीं है।

जनसंख्या एवं प्रतिदर्श

शोध अध्ययन के अन्तर्गत एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों तथा शिक्षकों को जनसंख्या के रूप में लिया गया है।

प्रथम सोपान

एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में से 50 प्रतिशत महाविद्यालयों को दैव आधार पर लाटरी विधि द्वारा चयनित किया गया है।

द्वितीय सोपान

शोध अध्ययन विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातक पर अध्ययनरत छात्रों तथा शिक्षकों का चयन यादृच्छिक विधि से चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है।

उपकरण

शोध शीर्षक आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के छात्रों एवं शिक्षकों की मनोवृत्ति को जानने हेतु शोधकर्ता ने स्वयं निर्मित प्रश्नावली का चयन किया, इस प्रश्नावली में अध्ययनकर्ता ने आरक्षण के प्रति उनकी मनोवृत्ति सम्बन्धी प्रश्नों को प्रश्नावली में रखा हैं। इसी प्रश्नावली को उपकरण के रूप में चयन किया गया है।

प्रदत्तों का संकलन

अनुसंधान द्वारा चयनित किये गये उपकरण को चुने गये महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनारक्षित एवं आरक्षित विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से भरवाया गया। सकलन के पश्चात उसका मूल्यांकन किया गया। प्रदत्तों का विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के रूप में सारणीबद्ध किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण

शोध अध्ययन में प्रदत्त विश्लेषण के लिए आरक्षित एवं अनारिक्षत वर्ग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की मनोवृत्ति से प्राप्त प्राप्तांकों का मध्यमान तथा मानक विचलन ज्ञात किया गया। इसके पश्चात मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया।

परिणाम एवं व्याख्या

शोध अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार प्रदत्तों को सारणीबद्ध कर विश्लेषण किया गया। इसमें यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया कि आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की मनोवृत्ति आरक्षित तथा अनारक्षित में अन्तर है या नहीं, परिणाम सारणी में प्रस्तुत किये गये हैं।

आरक्षण के प्रति स्नातक के आरक्षित एवं अनारक्षित विद्यार्थियों की मनोवृत्ति की तुलनात्मक स्थिति–

क्र.सं.	विद्यार्थी	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	स्वतत्रांश	सार्थकता
1	आरक्षित	80	8.04	1.89	0.81	158	सार्थक नहीं
2	अनारिक्षत	80	8.44	2.36			

0.01 के स्तर पर – 2,60, 0.05 स्तर पर– 1.97 सार्थक नहीं।

व्याख्या–

सारणी संख्या–1 से स्पष्ट है कि आरक्षण के प्रति स्नातक स्तर के आरक्षित एवं अनारक्षित विद्यार्थियों की मनोवृत्ति से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित एवं अनारक्षित विद्यार्थियों का मध्यमान क्रमशः 8.04 एवं 8. 44 तथा मानक विचलन क्रमशः 1.89 व 2.36 इनसे प्राप्त क्रान्तिक अनुपात 0.810 जो स्वतन्त्राश संख्या 158 के 0.01 तथा 0.05 स्तर के मानों से कम है। अर्थात सार्थक नहीं है। बनायी गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों पर आरक्षण के प्रति उनकी मनोवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं है। अनारक्षित वर्ग की मनोवृत्ति आरक्षण के प्रति अंशतः प्रभावपूर्ण है परन्तु आरक्षित वर्ग जातिगत रूप से आच्छादित है। आरक्षण का केवल जातिगत, राजनैतिक पक्ष का सकरात्मक प्रभाव पड़ता है। निष्कर्षतः बनायी गयी है शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

सारिणी संख्या–2

आरक्षण के प्रति महाविद्यालय स्तर के आरक्षित एवं अनारक्षित शिक्षकों की मनोवृत्ति की तुलनात्मक स्थिति

क्र.सं.	विद्यार्थी	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	स्वतत्रांश	सार्थकता
1	आरक्षित	50	7.2	1.52	0.289	98	सार्थक नहीं
2	अनारिक्षत	50	7.4	1.93			

- के स्तर पर– 2.60, 0.05 स्तर पर –1.97 सार्थक नहीं

व्याख्या :–

सारणी संख्या–2 से स्पष्ट है कि आरक्षण के प्रति महाविद्यालय स्तर के आरक्षित एवं अनारिक्षत शिक्षकों को मनोवृत्ति की तुलनात्मक स्थिति आंकड़ों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान क्रमशः 7.2 व 7.4 मानक विचलन क्रमशः 1.52 व 1.93 गणना के आधार पर प्राप्त क्रान्तिक अनुपात का मान 0.289 स्वतन्त्रांश संख्या 98 के 0.05 तथा 0.01 स्तर के मानों से अत्याधिक कम है अर्थात आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों की

मनोवृत्ति आरक्षण के प्रति कोई अन्तर नहीं पाया गया अर्थात गयी शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है। दोनों वर्ग के शिक्षक आरक्षण के प्रभाव से आच्छादित नहीं दिखायी पड़े परन्तु राजनैतिक पक्षों के प्रति दोनों वर्ग के शिक्षक चिन्तित प्रतीत होते है जातिगत प्रभाव में आरक्षित वर्गों के महत्व पर प्रभाव देखने को मिलता है।

निष्कर्षतः बनायी गयी परिकल्पना स्वीकृत की जाती है

विवेचना–

सांख्यिकी विवेचन से स्पष्ट होता है कि समस्त क्षेत्रों में हमारी बनायी गयी उपकल्पना स्वीकृत होती है। अतः इसमें उपकल्पना सार्थक होती है, संयुक्त विश्लेषण के उपरान्त यहां स्पष्ट होता है कि आरक्षण के प्रति आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति में कोई भिन्नता नहीं है, शोध साहित्य बिन्दु आर.पी. (1974) शोध शीर्षक उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की शैक्षिक प्रगति पर एक अध्ययन सन 1974 में किया गाय। जिसमें अनुसूचित जाति के मुकाबले में अन्य राज्यों की तुलना में साक्षरता कम है। अर्थात् आजादी के बाद शिक्षा के प्रत्येक स्तर में इन जातियों की उन्नति हुई है फिर भी अनारक्षित वर्गों के मुकाबले में यह काफी कम है।

निष्कर्षः–

अध्ययन के निष्कर्ष में यह कहना उचित होगा कि वर्तमान आरक्षण नीति अत्यन्त दोषपूर्ण है क्योंकि यह नीति अभी तक भी किसी वर्ग के व्यक्तियों को विकसित नहीं कर सकी, जबकि सीमाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप आज समाज का ध्रुवीकरण जातियों के आधार पर हो गया है। आरक्षण के प्रति विचारों के अध्ययन से निम्न मनोवृत्ति का अनुमान महसूस होता है–

- ❖ आरक्षण से जातीयता की संकीर्ण भावना को बल मिलेगा।
- ❖ आरक्षण से वंचित लोगों के जीवन पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा।
- ❖ आरक्षण लोकतात्रिक मान्यताओं के विरूद्ध है।
- ❖ आरक्षण भावनात्मक एकता में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा।
- ❖ आरक्षण युवा तनाव अग्रसर होता जायेगा।
- ❖ आरक्षण से शैक्षिक स्तर में गिरावट आयेगी।
- ❖ आरक्षण से समस्याओं का उपयुक्त समाधान सम्भव नहीं।
- ❖ वर्तमान में आरक्षण नीति वोट बैंक का आधार बन गई है।

सन्दर्भ

इंडिया टुडे	:	पत्रिका अक्टूबर–1991
क्रॉनिकल	:	पत्रिका जून–1992
माया	:	पत्रिका सितम्बर–1993
बिन्दु आर.पी. अध्ययन, पी–एच.डी. 1974	:	उ.प्र. की अनुसूचित जातियों की शैक्षिक प्रगति पर एक
समनाथन, एम.	:	एजूकेशनल प्राब्लम ऑफ सैडुल्ड कास्ट एण्ड सैडुल्ड ट्राइब्स इन तमिलनाडू पी–एच.डी. शिक्षा शास्त्र–1974
गैरिट एच.ई.	:	शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी की प्रयोग, कल्याणी पब्लिशर्स, राजेन्द्र नगर लुधियाना 2000

डॉ. सुरेश सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
टीचर्स एजुकेशन, विवेक कॉलेज, बिजनौर (उ.प्र.)